



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 10617 वर्ष 2026

हेमन्त शर्मा उर्फ हेमू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार यादव, रंजना यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अनुशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा सत्र विचारण संख्या 71/2024, मुकद्दमा अपराध संख्या 521 वर्ष 2013, अंतर्गत धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना कोतवाली, जिला झांसी में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ योजित किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 07.03.2014 के माध्यम से आवेदक को जमानत प्रदान की गई थी। आवेदक विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों में नियमित रूप से उपस्थित हो रहा था, तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तीन माह की अवधि तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और वह आत्मसमर्पण करने ही वाला था परंतु पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तत्पश्चात उसकी जमानत निरस्त कर दी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई। आवेदक 17.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक का विचारण अंतिम चरण में है तथा दस अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है। आवेदक द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें से दो मामलों में आवेदक जमानत पर है तथा एक मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110(जी) के अंतर्गत होने के कारण, आवेदक ने अपने बंधपत्र दाखिल कर दिए थे और उक्त मामला अब समय व्यतीत होने के कारण निष्फल हो गया है। इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 19170 वर्ष 2025, 2025:एचसी:184226 दिनांक 14.10.2025 में विकास कंजाड़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए, उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को एक वैध बचाव तैयार करने की आवश्यकता है तथा जब आवेदक कारागार में है तो उसे अपना बचाव तैयार करने के अवसर का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल सकता है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक एक फरार अपराधी है, तथापि, वह आपराधिक पूर्ववृत्तों के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं करते हैं।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदक की निरुद्धि की अवधि, इस तथ्य कि दस अभियोजन गवाहों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है और आवेदक को उचित बचाव तैयार करने की आवश्यकता होगी, को संज्ञान में लेते हुए, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना समुचित समझता हूँ।
7. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।
8. उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, हेमन्त शर्मा उर्फ हेमू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक वैयक्तिक बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ii) आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।
- (iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, संबंधित न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, इस आदेश की संगणक जनित (कंप्यूटर जनरेटेड) प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा।
11. यह भी निदेशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. ऊपर की गई टिप्पणियां अनन्य रूप से वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

29 जून, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।